Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय-मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

एम.एस.सी. संख्या 25/2016, श्रीमती भैरी बाई बनाम कालू लाल

Date	Order with intials of Presiding Officer	Brief note of Compliance of the Order
17.11.2025	अधिवक्तागण पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.10.2025 पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण भैरी बाई की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की साक्ष्य के समय दस्तावेज पर प्रदर्श मार्क किया जाना सहवन से रह गया था। न्याय हित में दस्तावेज पर प्रदर्श मार्क किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज पर प्रदर्श मार्क अंकित किये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया, तथा अप्रार्थी का बहस में मुख्य रूप से उल्लेख है कि प्रार्थीगण की साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू.1 व 2 के बयान लेखबद्ध किये जा चुके हैं तथा पत्रावली साक्ष्य अप्रार्थी में नियत की जा चुकी है। साक्ष्य अप्रार्थी में नियत किये जाने के पश्चात उसी दिनांक को प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने साक्ष्य में अन्य दस्तावेजात का मुख्य परीक्षण व जिरह में कोई हवाला नहीं दिया है। दस्तावेजात नवीन नहीं है, पूर्व से प्रार्थीगण की जानकारी में थे, प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान के तर्कों के संदर्भ में पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में साक्ष्य में दस्तावेजात सहवन से प्रदर्शित होने से र ह जाने उन पर प्रदर्श मार्क करवाना चाहा है। उक्त प्रार्थना पत्र में कौनसे दस्तावेजात प्रदर्श किये जाने है, ऐसा कोई हवाला नहीं है तथा दस्तावेजात पूर्व में प्रार्थीगण की जानकारी में नहीं हो अथवा नवीन दस्तावेताज हो ऐसे भी तथ्य पत्रावली में नहीं है। उक्त दस्तावेजात पूर्व से प्रार्थीगण के कब्जे में नहीं हो ऐसा भी तथ्य दृष्टिगत नहीं होता है। गवाहान ए.डब्ल्यू.2 ने अपनी साक्ष्य में किन्हीं दस्तावेजात का हवाला दिया हुआ है जिनको प्रदर्श करने से प्रार्थीगण वंचित रह गये हो ऐसा भी तथ्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हेतु दिनांक 24/11/25 को पेश हो। न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण रामगंजमण्डी जिला-कोटा	Noted